राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषयः दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश सं. 121 दिनांक, 25.03.2020 के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों का 5वां परिशिष्ट।

क. खंड 4 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (पी) का जोड़े जाना

(पी) फिशिंग (मैरीन)/एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के कार्यों सहित फीडिंग और मेन्टेनेंस, हार्वेस्टिंग, प्रोसेंसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री एवं विपणनय हेचरीस, कॉमर्शियल एक्वा, मछली और मछली उत्पादों की मूवमेंट, मछली के बीजध्दाने तथा इन सभी गतिविधियों में लगे कामगार।

टिप्पणी : जैसा लॉकडाउन उपायों में निर्धारित किया गया है, उपरोक्त प्रत्येक गतिविधि में सोशल डिस्टेंसिंग और उचित स्वास्थ्य प्रक्रियाओं के साथ ही साथ पिछले आदेशों में अनुमतगतिविधियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए. संगठनों/संस्थान प्रमुखों की जिम्मेवारी होगी कि वे ऐसे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं. जिला प्रापणिकरण इन्हें कड़ाई के साथ लागू करेंगे।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ/02/07/2020/एस–1/40 दिनांक 11.04.2020

आदेश सं. 122 – ई

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश सं. 121 दिनांक 25.03.2020, 122 दिनांक 26.03.202020, 122–ए दिनांक 29.03.2020, 122–बी दिनांक 30.03.2020, 122–सी दिनांक 03.04.2020 और 122–डी दिनांक 04.04.2020 के क्रम में और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जैसा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभाग के उपर्युक्त आदेशों में संलग्न है, दिशा–निर्देशों के 5वें परिशिष्ट के रूप में जारी किया जाता है, साथ ही इनके कड़े अनुपालन के निदेश दिए जाते हैं. यह आदेश दिल्ली के सभी हिस्सों में 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा.

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागाध्यक्ष।

प्रतिलिपि

1. राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी सदस्य।